न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–118 सन् 2015

तारकेश्वर राय.....वादी।

बनाम

नागेश्वर राय.....प्रतिवादी।

दिनांक– 14.03.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख प्रतिवादी सं0 01 ता 08 की ओर से आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 13.12.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रतिवादीगण की ओर से आवेदन में कथन है कि वादी ने जिन तथ्यों के साथ हकियत मुकदमा दायर किया है कानूनन चलने योग्य नहीं है। वादी ने अपने वादपत्र में मुकदमा से संबंधित तकरारी भूमि के निस्वत उचित कागजात दाखिल नहीं किया है। वादी ने अंदर वादपत्र सिर्फ भूमि के पैमाईस कराकर आर–डरेरा कायम करने हेतु निवेदन किया है जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। वादी ने तजबिज हकियत की घोषणा हेतु न तो मांग किया है वो न ही न्याय शुल्क अदा किया है जिस कारण यह वाद खारिज योग्य है। तकरारी भूमि के निस्वत वादी को कोई संबंध वो सरोकार नहीं है। न्याय वो कानून के हीत में यह वाद खारिज के योग्य है। अतः निवेदन है कि न्यायहीत में उपरोक्त सभी तथ्यों के आधार पर वादी के द्वारा दाखिल इस वाद को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

वादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 07.02.2023 को दाखिल कर कथन है कि प्रतिवादी के द्वारा दाखिल आवेदन मान्य नहीं है एवं चलने योग्य नहीं है। आवेदन पत्र के पारा–1 में लिखित बातें गलत वो झूठा हैं। वादी के द्वारा दाखिल कागजात जो वाद का आधार है के पश्चात् वाद संस्थापित हुआ है। न्यायालय के क्षेत्राधिकार की जानकारी पक्षों को होनी चाहिए। प्रतिवादीगण सोची समझी साजिस के तहत वादी को न्याय से वंचित करने हेतु आवेदन दाखिल किया है जो विलंबित करने की नियत से दिया गया है। वादी द्वारा यथेष्ट न्यायशुल्क अदा किया है। विवादित भूमि वादी की खरीदगी भूमि है जिससे प्रतिवादी को कोई सरोकार नहीं है। वादी की ओर से दिए गए आवेदन पर सुनवाई कर सर्वे जानकार अधिवक्ता की

नियुक्ति कर शीघ्र आदेश पारित करना अति आवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 13.12.2022 को दाखिल आवेदन को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी द्वारा दिनांक 13.12.2022 को आवेदन दाखिल कर वादी द्वारा दाखिल वाद को खारिज करने हेतु दाखिल किया है। प्रतिवादीगण का आवेदन में कथन है कि वादी द्वारा दाखिल वाद में मुकदमा से संबंधित कागजात दाखिल नहीं किया गया है तथा वादी सिर्फ भूमि की पैमाईस कराने हेतु वाद दाखिल किया है, जिसके कारण यह वाद इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि वादी का कहना है कि न्यायालय की दफा–151 व्यवहार प्रकिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय को न्याय करने का पूर्ण अधिकार है तथा वादी ने उचित न्यायशुल्क तथा कागजात दाखिल किया जिसके आधार पर उनका वाद स्वीकृत हुआ है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि धारा–9 के तहत अधिनियम के प्रावधानों के अधीन सभी सिविल न्यायालयों के पास सिविल प्रकृत्ति के सभी वाद की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार है सिवाय इसके की संज्ञान या तो स्पष्ट रूप से या निहित रूप से वर्जित हो। अतः प्रस्तुत वाद में ऐसा स्पष्ट नहीं कि ये वर्जित है। ऐसी परिस्थिति में वाद के सम्यक न्याय निर्णयन के लिए वादी का वाद स्वीकृत होना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादी सं0 01 ता 08 की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 13.12.2022 को खारिज किया जाता है।

वाद दिनांक .....को सुनवाई हेतु।

मुन्सिफ

सोनपुर सारण।